

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई

बनाम

मेसर्स टी.वी.एस. सुजुकी लिमिटेड, होसुर

6 अगस्त, 2003

[न्यायमूर्ति एस. राजेन्द्र बाबू, न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा तथा न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 – नियम 9बी(5) तथा उसका उपबंध और धारा 11बी – धनवापसी दावा – नियम 9बी(5) के उपबंध तथा धारा 11बी की प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित : नियम 9बी(5) के अधीन समायोजन के पश्चात उत्पन्न धनवापसी दावा धारा 11बी में निहित प्रतिबंधों से शासित नहीं होगा – चूँकि नियम 9बी(5) का उपबंध उस समय जोड़ा गया जब निर्धार्यो का धनवापसी दावा विभाग के समक्ष लंबित था, अतः विधि में पश्चातवर्ती संशोधन से निर्धार्यो का अधिकार समाप्त नहीं होगा – अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करके सही किया कि धनवापसी दावे का निर्णय उस समय प्रवर्तित विधि के अनुसार किया जाना चाहिए।

लोक उपक्रम उत्तरदाता ने अंतिम निर्धारण पूर्ण होने के पश्चात धनवापसी का आवेदन प्रस्तुत किया। सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने उसे परिसीमा के आधार पर अस्वीकार कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी ने उक्त आदेश पलट दिया और उस निर्णय की पुष्टि अधिकरण ने भी कर दी। इसके विरुद्ध वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गईं।

राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब नियम 9बी के उप-नियम (5) में उपबंध जोड़ा गया, उस समय निर्धार्यो का धनवापसी दावा विभाग के समक्ष लंबित था, अतः उसका निर्णय संशोधित विधिक प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए था।

अपीलें निरस्त करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : केवल इस कारण कि विभागीय अधिकारियों ने धनवापसी आवेदन पर विचार करने में लंबा समय लिया, निर्धार्यो का अधिकार विधि में पश्चातवर्ती संशोधन के कारण समाप्त नहीं हो सकता। अतः उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा अधिकरण द्वारा यह अभिनिर्धारित करना पूर्णतः उचित था कि उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत धनवापसी दावा माफतलाल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के निर्णय में प्रतिपादित विधि के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए और वह नियम 9बी(5) में जोड़े गए उपबंध से शासित नहीं होगा। [284-सी, डी]

माफतलाल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (1997) 5 एससीसी 536, पर भरोसा किया गया।

सिन्खाई सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद, [2002] 143 ई.एल.टी. 17 (उच्चतम न्यायालय) तथा *केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ बनाम मेसर्स स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड*, [2003] 7 एससीसी 27, पर भरोसा किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2000 की दीवानी अपील संख्या 2416।

कस्टम, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण, मद्रास द्वारा अपील संख्या ई/3292/98 में पारित अंतिम आदेश संख्या 1786/1999 दिनांक 21.7.1999 के विरुद्ध।

साथ में

2001 की दीवानी अपील संख्या 2891, 8380 तथा 2002 की दीवानी अपील संख्या 610-611।

अपीलकर्ता की ओर से एम.एल. वर्मा, सुश्री निशा बागची, पी. मनीष तथा बी.के. प्रसाद।

उत्तरदाता की ओर से राजेन्द्र सिंहवी, अशोक कुमार सिंह, वी. लक्ष्मी कुमरण, आलोक यादव, वी. बालचन्द्रन तथा सतीश कुमार अग्निहोत्री।

न्यायालय का निर्णय **न्यायमूर्ति श्रीकृष्णा** द्वारा दिया गया ।

2000 की दीवानी अपील संख्या 2416

5.7.1996 को उत्तरदाता ने अंतिम निर्धारण पूर्ण होने के पश्चात ₹1,48,58,630.94 की धनवापसी का दावा प्रस्तुत किया। सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने 9.7.1996 को कारण बताओ सूचना जारी की कि धारा 11बी का अनुपालन न होने के कारण उक्त दावा क्यों न अस्वीकार कर दिया जाए। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात सहायक आयुक्त ने 17 जुलाई, 1996 को आदेश पारित कर धनवापसी दावा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दावा परिसीमा अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया था तथा उत्तरदाता यह प्रदर्शित करने में असफल रहा कि जिस उत्पाद शुल्क की धनवापसी का दावा किया गया है उसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया गया था। अपील में, उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 19 जून, 1998 के अपने आदेश में यह टिप्पणी की कि जिस दिन सहायक आयुक्त ने उपर्युक्त आदेश पारित किया, अर्थात् 17.7.1996 को, निर्धारण अभी भी अनंतिम था तथा अंतिम निर्धारण 25.7.1996 को ही किया गया। इन परिस्थितियों में आयुक्त ने यह माना कि धनवापसी दावा परिसीमा से बाधित नहीं था। *माफतलाल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का अनुसरण करते हुए उन्होंने अभিনিर्धारित किया कि अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप से पूर्ण होने की स्थिति में अन्यायपूर्ण समृद्धि का सिद्धांत लागू नहीं होगा। परिणामस्वरूप उन्होंने धनवापसी दावा स्वीकृत कर लिया।

इसके विरुद्ध अपील में अधिकरण ने आयुक्त के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए अपील निरस्त कर दी। अतः विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

माफतलाल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशीय पीठ ने अभिनिर्धारित किया था कि नियम 9बी के उप-नियम (5) के अधीन समायोजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न धनवापसी दावे धारा 11ए अथवा धारा 11बी के प्रतिबंधों से शासित नहीं होंगे। न्यायालय ने कंडिका 104 में निम्नलिखित कहा था—

“नियम 9बी उन परिस्थितियों में अनंतिम निर्धारण का प्रावधान करता है जिनका उल्लेख उप-नियम (1) के खंड (क), (ख) तथा (ग) में किया गया है। उप-नियम (1) के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित माल को घरेलू उपभोग अथवा निर्यात के लिए उसी प्रकार निकाला जा सकता है जैसे अंतिम रूप से निर्धारित माल को निकाला जाता है। उप-नियम (5) यह उपबंध करता है कि ‘जब इन नियमों के अनुसार माल पर देय शुल्क का अंतिम निर्धारण कर दिया जाता है, तब अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क का अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क के साथ समायोजन किया जाएगा और यदि अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क अंतिम रूप से निर्धारित शुल्क से कम अथवा अधिक हो, तो निर्धार्य अंतर राशि का भुगतान करेगा अथवा धनवापसी प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जैसा भी मामला हो।’ उप-नियम (5) के अधीन समायोजन के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी वसूली अथवा धनवापसी धारा 11ए अथवा धारा 11बी से शासित नहीं होगी।”

माफतलाल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के निर्णय से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिसूचना संख्या 45/99-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गैर-शुल्क) दिनांक 25.6.1999 द्वारा नियम 9बी के उप-नियम (5) में एक उपबंध जोड़कर संशोधन किया गया। इस उपबंध का प्रभाव यह है कि नियम 9बी(5) के अधीन अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप से पूर्ण हो जाने के पश्चात भी

यदि यह पाया जाता है कि कोई निर्धार्य धनवापसी का अधिकारी है, तो ऐसी धनवापसी उसे तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि धारा 11 बी की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन न किया जाए।

इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान मामले में धनवापसी का दावा उप-नियम (5) में उक्त उपबंध जोड़े जाने से बहुत पहले प्रस्तुत किया गया था। जिस दिन धनवापसी का दावा प्रस्तुत किया गया, उस दिन लागू विधि वही थी जो इस न्यायालय ने *माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड* के निर्णय में प्रतिपादित की थी, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। तथापि, विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वर्मा ने तर्क दिया कि धनवापसी का दावा नियम 9 बी के उप-नियम (5) में जोड़े गए उपबंध द्वारा शासित होगा और परिणामस्वरूप धारा 11 ए तथा धारा 11 बी में निहित धनवापसी संबंधी प्रक्रिया एवं प्रतिबंध वर्तमान मामले पर लागू होंगे। यही प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष *सिन्खाई सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद*, [2002] 143 ई.एल.टी. 17 (उच्चतम न्यायालय) में विचारार्थ आया था। उस मामले में न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि विवाद का निर्णय *माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड* में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा। इस दृष्टिकोण को बाद के एक निर्णय में भी दोहराया गया, अर्थात् *केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ बनाम मेसर्स स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड*, [2003] 7 एससीसी 27, जिसमें अधिकरण के उस दृष्टिकोण को अनुमोदित किया गया था कि निर्धार्य का धनवापसी दावा उचित था।

श्री वर्मा ने निष्पक्षतापूर्वक स्वीकार किया कि नियम 9 बी के उप-नियम (5) में जोड़ा गया उपबंध पूर्वलक्षी प्रभाव वाला नहीं कहा जा सकता। तथापि उनका तर्क था कि जिस दिन उक्त उपबंध प्रभावी हुआ, अर्थात् 25.6.1999 को, धनवापसी का दावा अभी भी विभागीय अधिकारियों के समक्ष लंबित था और इसलिए उसका निर्णय उस विधि के अनुसार किया जाना

चाहिए था जो 25.6.1999 से प्रवर्तित हुई। हमारे विचार में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल इस कारण कि विभागीय अधिकारियों ने धनवापसी आवेदन के निस्तारण में अधिक समय लिया, निर्धार्यो का अधिकार नियम 9बी के उप-नियम (5) में किए गए पश्चातवर्ती संशोधन से समाप्त नहीं हो सकता। अतः उत्पाद शुल्क आयुक्त तथा अधिकरण दोनों ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने में पूर्णतः उचित थे कि उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत धनवापसी दावा *माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड* के निर्णय में प्रतिपादित विधि के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए तथा वह नियम 9बी के उप-नियम (5) में जोड़े गए उपबंध से शासित नहीं होगा।

परिणामस्वरूप, हमें इस अपील में कोई गुण-दोष दिखाई नहीं देता। अतः यह अपील निरस्त की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

2001 की दीवानी अपील संख्या 2891, 8380 तथा 2002 की दीवानी अपील संख्या 610-611

इन सभी अपीलों में विचारार्थ प्रश्न समान है। धनवापसी के दावे अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप से पूर्ण होने के पश्चात तथा 25.6.1999 से पूर्व प्रस्तुत किए गए थे, अर्थात् उस तिथि से पूर्व जिस दिन नियम 9बी के उप-नियम (5) का उपबंध प्रभावी हुआ। हमारे मत में, इन सभी मामलों पर भी *माफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड* में प्रतिपादित सिद्धांत लागू होगा, अर्थात् अनंतिम निर्धारण के अंतिम रूप से पूर्ण होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न धनवापसी दावों पर धारा 11ए तथा धारा 11बी के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

अतः ये सभी अपीलें भी निरस्त की जाती हैं।

व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपीलें निरस्त।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।